सार-समाचार

कांस्टेबल ने ईमानदारी का परिचय दिया

जोधपुर, (कासं) । कमिश्नरेट जिला पूर्व पुलिस ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए एक सुनार को उसका दो लाख का सोना लौटाया। सदर बाजार थाने के कांस्टेबल राकेश ने इस ईमानदारी का परिचय दिया है। दरअसल सदर बाजार थाने का कांस्टेबल राकेश सोमवार को अपनी ड्यूटी पर था। तब घोड़ों का चौक- कबूतरों का चौक मार्ग पर एक प्लास्टिक थैली में एक छोटी डिब्बी में उसे सोने के तीन पेडेंट मिले। जिसका वजन तकरीबन 16.120 ग्राम था। बाद में उसके मालिक के बारे में पता लगाने के लिए आस पास के स्वर्णकारों से पूछताछ की गई। फिर पता लगा कि यह पेडेंट की डिब्बी डोडीदारों का मोहल्ला, सिटी पुलिस क्षेत्र में रहने वाले भगवती प्रसाद सोनी की है। बाद में उन्हें यह डिब्बी सौंप दी गई। डिब्बी में तीन पेडेंट थे जिनकी अनुमानित कीमत दो लाख रूपए है। दरअसल कांस्टेबल राकेश बदमाशों पर निगरानी एवं स्थाई गिरफ्तारी वारंटियो की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान के के तहत गश्त पर था। तब उसे कबूतरों का चौक पर रास्ते में एक प्लास्टिक की छोटी डिब्बी मिली जिसे चैक करने पर उक्त डिब्बी में सोने के तीन पेडेंट मिले। इस पर थाना प्रभारी गोविन्दराम, हैडकांस्टेबल भंवरलाल को भी जानकारी दी गई। इसके लिए शिवम ज्वैलर्स के मालिक एवं जोधपुर व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन सोनी से सम्पर्क कर सहायता ली गई। बाद में पता लगने पर दुकानदार भगवती प्रसाद को पेडेंट सुपुर्द कर दिए गए।

पाली में इंदिरा गांधी की जयंती मनाई

पाली, (नि.सं.)। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, देश को परमाणु सम्पन्न राष्ट्र बनाने वाली आयरन लेडी इंदिरा गांधी की 107 वीं जयंती पर राजीव गांधी स्मृति भवन (कांग्रेस कार्यालय) में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अध्यक्ष अज़ीज़ दर्द के नेतृत्व में आयोजित पुष्पांजलि सभा में इंदिरा गांधी की तश्वीर पर कांग्रेसजनों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किये। इस दौरान विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अज़ीज़ दर्द ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के दृढ़ नेतृत्व और देश को आत्मनिर्भर बनाने के उनके प्रयासों को सदैव याद किया जाएगा तथा एकता, साहस और दृढ़ निश्चय की प्रतीक, इंदिरा गांधी जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस सदस्य महावीरसिंह सुकरलाई, ब्लॉक अध्यक्ष जीवराज बोराणा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश साँखला, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एवं पार्षद हाजी मेहबूब टी, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोरधन देवासी, एस सी विभाग जिलाध्यक्ष रतन उद्देश, ओ बी सी जिलाध्यक्ष गोविंद बंजारा, पूर्व पार्षद आमीन अली रंगरेज़, ताराचंद टाक, अरुण जोशी, मंडल अध्यक्ष राजू सोलंकी, युवा विधानसभा अध्यक्ष कृष्णा सांसी, वजीर खान खैरवा, लक्ष्मण कछवाहा, ब्लॉक प्रवक्ता असगर क़ुरैशी, पुष्पराज सोनी, धनराज आर्य, इकबाल शेख, ताराचंद चंदनानी, मोहम्मद खान पठान, कमरुद्दीन पठान, भेराराम गुर्जर, रामचंद्र बुनकर, दिनेश दवे, जावेद सिरोहा, विक्रम चंदानी, यासीन सबावत, अनवर खान सिपाही सहित दर्जनों कांग्रेसजनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

हमला करने के 2 और आरोपी गिरफ्तार

पाली, (नि.सं.)। पाली में सुंदरकांड पाठ कर रहे पंडितों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में 6 आरोपी पकड़े जा चुके है। मुख्य आरोपी सुरेंद्रसिंह अभी भी फरार है। जिसकी तलाश जारी है। बता दें कि ब्राह्मण समाज ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर 20 नवंबर को पाली बंद की चेतावनी दी थी। सीओ सिटी देरावर सिंह ने बताया 13 नवंबर को औद्योगिक थाने क्षेत्र के राजनगर में अपने प्लॉट पर पंडितों के साथ सुंदरकांड का पाठ कर रहे पंडित ओमदत्त दवे पर सुरेंद्रसिंह राजपूत ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया था। जिसमें ओमदत्त दवे गंभीर घायल हो गए थे। उसे बचाने का प्रयास करने पर अन्य पंडितों पर भी आरोपियों ने हमला किया था। घायल ओमदत्त का अभी भी बांगड़ हॉस्पिटल में उपचार जारी है। मामले में रेलवे स्टेशन भटवाड़ा निवासी रवि कुमार (28) पुत्र किशोर कुमार और शांति प्रिय नगर (औद्योगिक नगर थाना) निवासी दशरथ (36) पुत्र कालूराम को गिरफ्तार किया है। इससे पहले राजनगर (औद्योगिक नगर थाना) निवासी कुलदीपसिंह (27) पुत्र कुंदनसिंह, शेखावत नगर निवासी कमलसिंह (35) पुत्र कायमसिंह, राजेन्द्र नगर निवासी चैनसिंह (26) पुत्र दिलीपसिंह और शिव कॉलोनी निवासी जयंती (24) पुत्र जेठाराम को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस अभी तक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी सुरेंद्रसिंह की तलाश जारी है।

साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

सांचौर, (कासं)।जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिला कलेक्टर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं प्रोजेक्ट के अधिकारियों से जिले में संचालित जल जीवन मिशन कार्यों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान तक दिए गए नल कनेक्शन, अमृत 2.0 योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए क्षेत्र में सुचारू पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही विद्युत सप्लाई की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि क्षेत्र में सुचारू विद्युत प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जिले में निर्माणाधीन सडकों की जानकारी लेते हुए सडक निर्माण कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने एवं कार्यों को तय समयसीमा में पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रमोद कुमार, एडिशनल एसपी आवडदान रत्नू, अधीक्षण अभियंता डिस्कॉम तारिक खान, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग ओमप्रकाश सुथार, सांचौर तहसीलदार देशलाराम परिहार सहित अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे।

राजपूत सेवा समिति रानी की बैठक हुई

रानी, (निसं)। श्री राजपूत सेवा समिति रानी की बैठक आशापुरा माताजी मंदिर नाडोल में समिति अध्यक्ष छैलसिंह राठौड डुठारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में 25 दिसंबर 2024 को रानी क्षेत्र राजपूत समाज कि विभिन्न क्षेत्रों में राजकीय व निजी क्षेत्रों में नवनियुक्त प्रतिभा, शिक्षा,खेलकूद ,स्काउट , , नीट, , एम्स इत्यादि मे विशेष उपलब्धि हासिल करने वालों को उत्साहवर्धन के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। पात्र प्रतिभाशाली अपना आवेदन 15 दिसम्बर 24 तक समिति को जमा करा सकते है। बैठक मे शैतानसिंह ईटन्दरा मेडतियान, करणसिंह, हीरसिंह लोडता, कोषाध्यक्ष वि मसिंह राठौड छोटी रानी, राजेंद्रसिंह सोलंकी जवाली, भीमसिंह गुडा, पृथ्वीराज महावीरसिंह गुडा भीमसिंह, माधोसिंह पादरलीसिंधलान, मनोहरसिंह मेवी, हुकमसिंह, सुगनसिंह गुडा, केसरसिंह, महीपाल सिंह खुनी गुडा , जसवन्त सिंह आदि समिति के सदस्यों ने सम्मान समारोह के आयोजन एवं तैयारी की कार्य योजना बनाई।

जे.एन.वी.यू. में शूटिंग चयन आज से

जोधपुर, (कासं) । जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के क्रीड़ा मंडल की ओर से शूटिंग की चयन प्रक्रिया 20 नवंबर से आयोजित होगी। खेल प्रभारी प्रो. अमन सिंह सिसोदिया ने बताया कि 20 नवंबर को सुबह नौ बजे से शूटिंग टीम (महिला) की चयन प्रक्रिया शारीरिक शिक्षा विभाग, पुराना परिसर में आयोजित होगी। वहीं शूटिंग टीम (पुरूष) की चयन प्रक्रिया 21 नवंबर को सुबह नौ बजे से शारीरिक शिक्षा मंडल, पुराना परिसर में आयोजित होगी। प्रो. सिसोदिया ने बताया कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी को उपस्थिति के समय अपने साथ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एनरोलमेंट फॉर्म संबंधित विभाग के अधिष्ठाता, निदेशक या प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर मय सील, परिचय पत्र, चालान कॉपी, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, सैकेण्डरी एवं सी. सैकण्डरी अंकतालिका की फोटो कॉपी/अंतिम कक्षा उत्तीर्ण अंकतालिका की फोटो कॉपी लाना अनिवार्य है। वहीं चयन प्रक्रिया समय से 30 मिनट पूर्व प्रतिभागी को चयन प्रक्रिया स्थल पर अपनी उपस्थिति देनी होगी।

जसवंतपुरा पंचायत में शिविर लगा

जालोर, (कासं)। राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अनुसरण में संयुक्त सहायता अनुदान योजनान्तर्गत विशेष योग्यजनों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से दिव्यांगजन को 20 हजार रूपये तक के कृत्रिम अंग/उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए मंगलवार को पंचायत समिति जसवंतपुरा में दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान जसवंतपुरा उपखण्ड अधिकारी रामलाल मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्लॉक प्रभारी कुलदीप माली, छात्रावास अधीक्षक ठाकराराम देवासी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि व दिव्यांगजन उपस्थित रहे।

मर्सिडीज बेंज के एयरबैग खुले, उपभोक्ता कोर्ट ने लगाया जुर्माना

जोधपुर, (कासं)। हाईवे पर चल रही 99 लाख की मर्सिडीज बेंज के अचानक एयरबैग खुल गए। हैंडीक्राफ्ट व्यापारी ने इसकी शिकायत कंपनी और डीलर से की तो उन्होंने कार ठीक करने का आश्वासन दिया। जब डेढ़ साल तक कंपनी इसका कोई हल नहीं निकाल पाई तो व्यापारी ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की। अपना पक्ष रखते हुए नई कार समेत इसके रजिस्ट्रेशन का खर्चा मांगा। बचाव करते हुए कंपनी की ओर से दलील में कहा गया कि कार के पास चल रहे ट्रक का टायर फटने से कार के सेंसर पर एयरशॉक लगा और एयरबैग खुल गया। यह कोई सर्विस फॉल्ट नहीं है।

इस दलील को नकारते हुए कोर्ट ने फैसले में कहा कि मर्सिडीज के मैनुअल में साफ लिखा है कि टक्कर होने के बाद ही एयरबैग खुलेंगे। ऐसे में, एयरशॉक की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता को 5 लाख रुपए देते हुए 2 महीने के अंदर कार को ठीक करके दें। मामला जोधपुर उपभोक्ता आयोग की बेंच का है। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को मर्सिडीज बेंज कंपनी और स्थानीय डीलर को लेकर यह फैसला सुनाया है। उपभोक्ता की ओर से पैरवी करने वाली लता जैन ने बताया कि जितेंद्र जैन ने 4 दिसंबर 2023 को जोधपुर के कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की थी, इसका फैसला आज आया है। शिकायत में बताया था कि मार्च 2023 में खरीदी मर्सिडीज में 3 माह बाद जून 2023 में मैन्यूफैक्चरिंग फॉल्ट के कारण अपने आप एयरबैग खुल गए थे। व्यापारी ने कई बार इसकी शिकायत कंपनी को की, उन्होंने कार को ठीक करके नहीं दिया। पिछले डेढ़ साल से जून माह के बाद कार वर्कशॉप में ही खड़ी है। ऐसे में उन्हें नई कार दी जाए और रजिस्ट्रेशन के करीब 9 लाख रुपए भी लौटाए जाए।

वकील लता जैन ने बताया कि जोधपुर के मैसर्स सनसिटी आर्ट एक्सपोर्ट पार्टनर जितेंद्र जैन ने मर्सिडीज बेंज और स्थानीय डीलर टी एंड टी मोटर के खिलाफ वाद दायर किया था। राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर बेंच की न्यायिक सदस्य उर्मिला वर्मा और सदस्य लियाकत अली ने मर्सिडीज बेंज के ड्राइवर साइड के एयर बैग अपने आप खुलने को सर्विस फाल्ट मानते हुए एयरबैग बदलकर देने और उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए 5 लाख रुपए मानसिक पीड़ा के रूप में देने का आदेश दिया है। जितेंद्र जैन ने डीलर से मर्सिडीज बेंज कार 88 लाख 87 हजार रुपए देकर खरीदी थी और रजिस्ट्रेशन के 9 लाख 94 हजार रुपए अदा किए थे। जितेंद्र जैन ने शिकायत में कहा था कि जून 2023 में मैं पत्नी के साथ मर्सिडीज बेंज कार में उदयपुर से अहमदाबाद जा रहा था। इसी दौरान अचानक ड्राइवर साइड के कर्टन एयरबैग बिना किसी कारण के खुल गए, दोनों इस दुर्घटना में बच गए थे। इसके बाद कार को डीलर के यहां सर्विस के लिए पहुंचाया गया था। उपभोक्ता आयोग में पेश किए परिवाद में बताया कि डीलर बार-बार कार को जल्दी ठीक करने का आश्वासन देता रहा, लेकिन कार को ठीक नहीं कर रहा था। सर्विस रिपेयरिंग के दौरान डीलर को कार में आए फाल्ट की जानकारी ही नहीं लग रही थी।

जैसलमेर न्यायालय ने बईया मामले में कलैक्टर से मांगी रिपोर्ट

जैसलमेर, (नि.सं.)। जिले के बईया गांव में चल रहेओरण बचाओ आंदोलन और निजी कंपनी के सोलर प्रोजेक्ट के विरोध मामले में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रसंज्ञान लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (एडीजे) किशोरकुमार तालेपा ने जिला कलेक्टर प्रतापसिंह को लेटर भेजा।

कलेक्टर को भेजे पत्र में एडीजे ने इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट मदन सिंह सोढ़ा ने बताया- बईया गांव में ओरण की जमीन को लेकर ग्रामीणों के साथ चल रहे विवाद की कलेक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है।

एडीजे किशोरकुमार तालेपा ने जिला कलेक्टर प्रतापसिंह को लेटर भेजकर कहा- विगत दिनों में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि जैसलमेर के बईया गांव में निजी कंपनी ठिाड सब स्टेशन का निर्माण करने जा रही है। और ग्रामीण ओरण बचाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इस भूमि पर सोलर प्लांट लगने से गर्मी बढ़ने, सांस्कृतिक धरोहर तथा पर्यावरण को क्षित पहुंचने की भी आशंका है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सेवा संस्थाओं का कार्य लोक अदालत, विधिक सहायता व विधिक चेतना तक ही सीमित नहीं है, अपितु आमजन के हित व अधिकारों को भी संरक्षित रखना है। इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस तथ्य पर संज्ञान लिया जाकर लेख है कि बईया गांव में कराए जा रहे कार्य के लिए सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने व पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। विवाद की वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करवाने का श्रम करें ताकि विधि अनुसार अठिाम कार्यवाही की जा सके।

जिले के बईया गांव में निजी कंपनी का सोलर प्लांट बनने वाला है। ऐसे में जीएसएस का काम शुरू होने पर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इस विरोध में शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी भी पहुंचे और पुलिस के साथ हल्की बहसबाजी भी हुई।

इस दौरान पुलिस की तरफ से शिव विधायक पर राजकार्य में बाधा का भी मुकदमा शनिवार को दर्ज किया गया है।

सोमवार को जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी भी धरनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांगों को जिला कलेक्टर तक पहुंचाया।

कार्यकर्ता ही पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं : दीपेंद्र देवड़ा

रेवदर, (निसं)। भाजपा प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे संगठन पर्व का आज भाजपा अनादरा मंडल ने सिरोडी के बाणेश्वर महादेव मंदिर में मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह देवडा की अध्यक्षता,अनादरा मंडल प्रभारी एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष अरुण ओझा के मुख्य अतिथिय,संगठन पर्व मंडल सहयोगी एवं पूर्व जिला महामंत्री मदन सिंह तल,ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष अमराराम प्रजापत एवं महिपाल चारण के विशिष्ट आतिथ्य में बैठक कर शुभारंभ किया।

बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनादरा मंडल प्रभारी एवं जिला उपाध्यक्ष अरुण ओझा ने कहा कि संगठन पर्व के निमित्त हमें प्रत्येक बूथ पर चुनाव नहीं चयन करना चाहिए और भाजपा को मजबूत करना चाहिए। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह देवडा ने कहा कि कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की रीड की हड्डी है और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए जिससे भाजपा आने वाले पंचायती राज चुनाव में विजय प्राप्त कर सके।

मंडल सहयोगी एवं पूर्व जिला महामंत्री मदन सिंह थल ने बताया कि जो भी कार्यकर्ता 5० भाजपा के प्राथमिक सदस्य बनाएगा उसे भारतीय जनता पार्टी की सकिय सदस्यता दिलाई जाएगी और उन्हें ही आगामी कार्य म में दायित्व दिया जाएगा।

ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष अमराराम प्रजापत ने भजन लाल सरकार की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला एवं कार्यकर्ताओं से इन्हें आम जनता तक पहुंचाने के लिए आव्हान किया।

बैठक में मंडल महामंत्री केसाराम कोली, अशोक पुरोहित,जेताराम चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष जयदीप सिंह देवडा, रमेश जोशी,सरेदान चारण, मंडल मंत्री मगनलाल पुरोहित,भाणा राम मेघवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपाराम चौधरी, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पुष्पा कोली,एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष मानाराम मेघवाल,पूर्व महामंत्री धनाराम कोली, पूर्व पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि नटवर सिंह देवडा,बूथ अध्यक्ष मोहन मेघवाल,जैताराम चौधरी धवली, कालूराम कोली क्यारियां,रुपाराम देवासी, मोतीलाल कोली,वजा राम चौधरी,दीप सिंह मालगांव, प्रेमराज चौधरी,गणेश मेघवाल, नरेंद्र लोहार आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सरगरा समाज के 105 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सम्मान

जोधपुर, (कासं) । सरगरा समाज की तरफ से आयोजित एक समारोह में 105 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। समाज की तरफ से यह द्वितीय आयोजन था।

घाणा गांव स्थित राजा बली मंदिर परिसर में सरगरा समाज युवा संस्था चोराई पट्टी का द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज के 105 प्रतिभावन छात्र-छात्राओं को संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर एवं प्रमाण पत्र देकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

समारोह में मुख्य अतिथि विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में आगे बढने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का विकास उसकी शिक्षा, संस्कार और रोजगार पर निर्भर करता है। इसलिए हमें अगर समाजिक उत्थान करना है तो युवाओं की शिक्षा और संस्कार पर ध्यान देना होगा, समाज के विकास के लिए वे हर संभव मदद के लिए तैयार हैं।

स्वामी चेतनगिरी महाराज ने प्रवचन देते हुए कहा कि हमे लडक़ा लडक़ी में भेद नहीं करना चाहिए। दोनों को शिक्षा आवश्यक रूप से देनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि डॉ. जितेंद्र चौहान ने शिक्षा को समाज के विकास का आधार बताया। उन्होंने छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पढेगा सरगरा तो बढेगा सरगरा।

आयकर अधिकारी राजेश भाटी ने युवा पीढी को सोशल मीडिया से दूर रहकर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आहवान किया।

इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में हंत निर्भयनाथ महाराज सायला, निर्मल कुमार बाला, विक्रम चेतन सरगरा, रेवन्यु इंस्पेक्टर लक्ष्मण सरगरा, दिलीप चौहान, अधिवक्ता दौलत पंवार जोधपुर, पूर्व युवा अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र चौहान , डॉ.पाबूराम सतलाना, मायला चौताला अध्यक्ष अधिवक्ता भागीरथ राठौड़, जसवंत चौहान नोसरा, भाजपा नेता जितेंद्र मारू, शिक्षाविद् सोहनलाल चोपड़ा, संजय भाई पडिहार आनंद, महेंद्र धवल मुंबई, सोहिल मारवाड़ी, हुकमाराम, मोतीलाल देवड़ा, मुरलीधर सागर सहित कई लोग मौजूद रहे।

जे.डी.ए.के भूखंडों की नीलामी जारी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी के नेतृत्व एवं निर्देशन में प्राधिकरण के आय स्त्रोत बढाने के क्रम में दीपावली मेगा ऑक्शन में विभिन्न योजनओं के भूखण्डों की नीलामी में आमजन के भारी रूझान एवं उत्साह निरन्तर जारी है। सोमवार एवं मंगलवार दो नीलामी दिवस में उद्योग विहार योजना के ०4 औद्योगिक भूखण्डों एवं खसरा संख्या 713 ग्राम चौखा आवासीय योजना के 02 भूखण्डों को नीलामी के जरिये विक्रय किया गया।

प्रभारी अधिकारी नीलामी शाखा संदीप सान्दू न खसरा संख्या 713 ग्राम चौखा आवासीय योजना के भू.सं. 3 व 5, राजीव गांधी नगर सेक्टर एफ आवासीय भू.सं. 62, 63, 107 एवं पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विहार आवास योजना के 5 भूखंडों की नीलामी रखी। 21 नवम्बर को राजीव गांधी नगर भू.सं. 132, राजीव गांधी नगर मल्टीस्टोरी रहवासीय भू.सं. ए-7 व ए-8 तथा रामराज नगर सेक्टर 2 ग्राम चौखा विद्यालय प्रयोजनार्थ भूखंड की ई-नीलामी करेगा। प्रभारी नीलामी सान्दू ने बताया कि मंगलवार को चौखा आवासीय योजना की ई-नीलामी में 38,900/- प्रति वर्गमीटर की उच्चतम बोली दर प्राप्त हुई।

जिला कारागृह का निरीक्षण

जालोर, (कासं)। जिला कलैक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने मंगलवार को जिला कारागृह का औचक निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जिसमें व्यवस्थाएँ संतोषजनक पाई गई।

कलैक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे के जिला कारागृह पहुँचने पर पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गय। जिला कलक्टर ने जिला कारागृह में बंदियों से कारागृह की व्यवस्थाओं, उनकी दिनचर्या व उन्हें मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए व्यवस्थाओं को लेकर कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बीमार बंदियों के उपचार के लिए कारागृह में चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। जिला कलक्टर ने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जिला कारागृह में सुरक्षा व्यवस्था व साफ-सफाई पर कार्मिकों को निर्देशित किया। इस अवसर पर कारागृह की पुलिस उप अधीक्षक सम्पति बामणिया सहित कई जने उपस्थित रहे।

कार्यालय नगरपरिषद, जालोर (राजस्थान)

(Hospital circle, Jalore, Rajasthan 343001)
Email –npjaloreraj@gmail.com

क्रमांक नपजा / SBM(U)2.0 / 2024–25 / 4634 दिनांकः– 14.11.2024

सार्वजनिक सूचना

नगर परिषद् जालोर के सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 आरम्भ हो चुका है। इसी कर्म में स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपविधियों के उल्लंघन में किये गये कृत्यों के लिये मौके पर निम्नानुसार जुर्माना राशि वसूल की जायेगी।

उपविधियों के उल्लघंन में किए गए कृत्यों के लिए निर्धारित कैरिंग चार्ज

क्र.स.	कृत्य	जुर्माना राशि
1	रहवासियों भवनो के निवासीयों द्वारा रोड गली में कचरा फैलाने (Littering) पर	75 रू प्रतिदिन
2	दुकानदारो (Vendor / Hawker) द्वारा कचरा बाहर डाले जाने पर	500 रू प्रतिदिन
3	रेस्टोरन्ट मालिको द्वारा कचरा खुले में डाले जाने पर	1000 रू प्रतिदिन
4	होटल मालिकों द्वारा कचरा खुले में डाले जाने पर	1000 रू प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कचरा खुले में डाले जाने पर	2500 रू प्रतिदिन
6	हलवाई, चाट, पकोड़ी, फास्ट फुड, आईसक्रीम, गन्ने का रस व अन्य ज्यूस, सब्जी आदि एवं ठेला व्यावसाईयों द्वारा कचरा खुले में डाले जाने पर	75 रू प्रतिदिन
7	**सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने वालों पर**	
	थुकने पर	100 रू एक बार
	खुले मे नहाने पर	100 रू एक बार
	खुले मे पेशाब करने पर	100 रू एक बार
	खुले मे शोच करने पर	200 रू एक बार
	गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर	2500 रू एक बार
.8	**कचरे का पृथक्करण, भण्डारण एवं इक्कठा करने में उल्लघन पर**	
	घरो द्वारा कचरे को कचरा पात्र में इक्कठा नही किये जाने पर	100 रू प्रतिदिन
	बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा कचरे को कचरा पात्र में इक्कठा नही किये जाने पर	500 रू प्रतिदिन
	बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा जनित्र बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को उनके परिसर में उपचारित नही किये जाने पर	3000 रू प्रतिदिन
	गीले व सूखे कचरे को प्रथक से नही देने पर	100 रू प्रतिदिन
	100 व्यक्तियो से अधिक का आयोजन पर आयोजक द्वारा उक्त स्थान पर उत्पन्न कचरे को पृथक्क अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को नही सोपने पर	2000 रू आयोजन
	गार्डन कचरे को पृथक्क से नही देने पर	100 रू प्रतिदिन
	कचरा जलाने पर	200 रू प्रतिदिन
	दुकानदारों Vendor/ Hawkers को बिना कचरा पात्र के पाये जाने पर	300 रू प्रतिदिन
	दुकानदारों Vendor/ Hawkers को कचरे को प्रथक से नही देने पर	300 रू प्रतिदिन
	पालतू जानवरों के मालिकों द्वारा पालतू जानवरों से कचरा फैलाने व खुले में शोच कराने पर	500 रू प्रतिदिन
09	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर	2500 रू प्रति फिट
10	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर	2500 रू प्रतिदिन
11	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गंदगी आम नाली / नाले में बहाने	2500 रू प्रतिदिन
12	क्रमाक से. 2 से 6 तक वणित व्यक्ताईयों द्वारा व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नही रखने	1500 रू प्रतिदिन
13	दुकानदार अथवा ठेला व्यापारीयों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकल रिपेयरिंग कर आयल,मिटटी व पानी फैलाकर गंदगी करने पर	750 रू प्रतिदिन
14	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवर की हडिडया मलबा मलिदा खून मुर्गे के पंख, अण्डो के छिलके इत्यादि सड़क व आम रास्तों पर गंदगी फैलाने पर	3000 रू प्रतिदिन
15	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी कुत्ते भेड, ऊट, गंधा, घोडे, सुअर इत्यादि जानवरों से गंदगी फैलाने पर पादी	3000 रू प्रतिदिन
16	विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर	3000 रू प्रतिदिन
17	सार्वजनिक स्थान जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सबिया बेचकर छिलके व अप सड़क पर डालने व गंदगी फैलाने पर	75 रू प्रतिदिन
18	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गंदगी व बाल इत्यादि डालने पर	250 रू प्रतिदिन
19	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना, इत्यादि द्वारा आम रास्ता सड़क फुटपाथ पर गंदगी डालकर गंदगी फैलाने पर	2000 रू प्रतिदिन
20	**कन्सट्रक्शन एवं डिमोलिश वेस्ट को पृथक से इक्कठा नही करने पर**	
	घरेलू उत्पादको से	300 रू प्रति डिफाल्ट
	अघरेलू उत्पादको से	3000 रू प्रति डिफाल्ट
21	संस्थान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा प्लास्टिक कचरे को बाहर फेकने पर	3000 रू प्रतिदिन
22	व्यक्तियो /घरो तथा दुकानदारो द्वारा प्लास्टिक कचरे को बाहर फेकने पर	750 रू प्रतिदिन
23	प्लास्टिक कचरे जलाने पर	200 रू प्रतिदिन
24	प्लास्टिक कैरी बेग का उपयोग करते पाये जाने पर	75 रू प्रतिदिन
25	75 माइकोन से कम के प्लास्टिक बैग / प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग / बिक्री और भंडारणा या गैर बायोडिग्रेबल सिंगल यूज / थ्रो–अवे के उपयोग ब्रिकी / भंडारण पूर्णतया प्रतिबंधत है।	1000 / –
26	सीवरों और सेप्टिक टैंको की सफाई बिना सुरक्षा गियर के कर्मचारियों द्वारा सफाई करना पूर्णतया प्रतिबंधित है।	नियमानुसार जुर्माना लगेगा
27	निजि / अनुबंधित डी–स्लजिंग ऑपरेटर यूएलबी के साथ पंजीकृत अनिवार्य है।	नियमानुसार जुर्माना लगेगा
28	यूएलबी के नालों और /या खूले क्षेत्रों में अनुपचारित मल कीचड डंप करने वाले व्यक्तियों / डी–स्लजिंग ऑपरेटरों के खिलाफ अधिसूचित और जुर्माना वसूला जायेगा ।	नियमानुसार जुर्माना लगेगा

राज.संवाद / सी / 24 / 8008 आयुक्त

प्रारूप – 10 (नियम 6(7) देखिये)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय :– नगर परिषद, जालोर

क्रमांक :– नपजा / कृ.भू.नि. / 2024 / 4382 दिनांकः– 28.09.2024

लोक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा इस कार्